रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26052025-263374
CG-DL-W-26052025-263374

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, मई 18—मई 24, 2025, शनिवार/ वैशाख 28—ज्येष्ठ 3, 1947
No. 16] NEW DELHI, MAY 18—MAY 24, 2025, SATURDAY/ VAISAKHA 28—JYAISHTHA 3, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1997, जहां तक वे उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित हैं,उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,का अधिक्रमण करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,युवा कार्यक्रम विभाग के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, वरिष्ठ सचिवालय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची से स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद के संबंध में अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13)में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –**वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है;या

(ख)जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की किसी बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
वरिष्ठ सचिवालय सहायक।	15 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-4 (25500-81100 रु.)।	अचयन।	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नतियाप्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थितिमें वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा शत-प्रतिशत जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में कनिष्ठ सचिवालय सहायक

				(19900-63200 रु.) जिनकीइस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा है। **टिप्पण:** यदि उन कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उन के ज्येष्ठ अधिकारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह कि उन की अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा या दो वर्ष,जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधिकारी,- (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारित किया हो; या (ii) जिनकी कनिष्ठ सचिवालय सहायक या समकक्ष के ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा हो । **टिप्पण 1:-** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर- प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि

				साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-**प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक या उप सचिव -अध्यक्ष 2. अवर सचिव -सदस्य 3. अवर सचिव -सदस्य (राष्ट्रीय सेवा योजना अनुभाग के प्रभारी)	लागू नहीं

[फा. सं. ए-12041/12/2022-एनएसएस]

रवि कुमार सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Youth Affairs)

New Delhi, the 15th July, 2024

G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Service Scheme,Department of Youth Affairs and Sports,Ministry of Human Resource Development Group 'C' posts Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Secretariat Assistant in the National Service Scheme, under the Ministry of Youth Affairs and Sports,Department of Youth Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Service Scheme, Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Youth Affairs,Senior Secretariat Assistant(Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.–The number of the saidpost, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment,age-limit, qualifications and other matters relating to the said postshall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient soto do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Secretariat Assistant.	15* (2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Hundred per cent. by promotion failing which by deputation.	Promotion: Junior Secretariat Assistant in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully

				completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officer of the Central Government,- (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the grade of Junior Secretariat Assistant or equivalent **Note 1:**The department-tal officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.Similarly, the deputationists shall not be eligible for con-sideration for appointment by promotion. **Note 2:-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appoint-ment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director or Deputy Secretary -Chairperson; (2) Under Secretary -Member; (3) Under Secretary (In-Charge of National Service Scheme Section) -Member.	Not applicable.

[F. No A-12041/12/2022-NSS]

RAVI KUMAR SINHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 69.—राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा एवं खेल विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1997 को, जहां तक उनका संबंध युवा सहायक श्रेणी-2 के पद से है,उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग के अधीन राष्ट्रीय सेवा योजना में युवा सहायक श्रेणी-2के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सेवा योजना,युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय युवा सहायक श्रेणी-2 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदकी संख्या, उनका वर्गीकरण,औरवेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) स्तंभ से (13)में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – वह व्यक्ति–**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद याअचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
युवा सहायक श्रेणी -2	17 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। *	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)।	अचयन।	18-27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसारविभागीय अभ्यर्थियों के लि 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायकतारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति:भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति याआमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थितिमें वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (ii) युवा कार्य या युवा कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर या राष्ट्रीय सेवा योजना या राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक या खेलकूद या सांस्कृतिक और शिक्षा क्रियाकलाप तथा शिविर लगाना भी है के आयोजन में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : (i) प्रोन्नति पदों की 85 प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु) में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके उच्च श्रेणी लिपिक की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी; (ii) प्रोन्नति पदों की 15 प्रतिशत रिक्तियां वेतन

टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या संस्थान या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से संबद्ध अनुभव प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा। **टिप्पण 2:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी च आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।				मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुकेऔर स्तंभ (7) के अधीन मद (ii)में विनिर्दिष्ट अनुभव रखते हो आशुलिपिक श्रेणी-2की पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) निदेशक या उप सचिव -अध्यक्ष; (2) अवर सचिव -सदस्य;	लागू नहीं होता ।

(3) अवर सचिव -सदस्य । (राष्ट्रीय सेवा योजना अनुभाग के के प्रभारी) 2. समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) निदेशक या उप सचिव -अध्यक्ष; (2) अवर सचिव - सदस्य; (3) अवर सचिव- -सदस्य । (राष्ट्रीय सेवा योजना अनुभाग के प्रभारी)	

[फा. सं. ए-12041/4/2022-एनएसएस]

रवि कुमार सिन्हा, अवर सचिव

New Delhi, the 15th July, 2024

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Service Scheme,Department of Youth Affairs and Sports, Ministry of Human Resource Development Group 'C' posts Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the post of Youth Assistant Gr.II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Youth Assistant Gr.II in the National Service Scheme under the Ministry of Youth Affairs and Sports,Department of Youth Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the National Service Scheme, Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports,Youth Assistant Grade II (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix.–The number of the said post, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person,–

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of agelimit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Youth Assistant Grade II	17* (2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs. 29200 – 92300)	Non-selection.	Between 18 years and 27 years. (The upper age limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Degree of a recognised University or equivalent; (ii) Two years experience of organising programmes relating to Youth Work or Youth Welfare including National Cadet Corps or National Service Scheme or National Service Volunteers Scheme or Sports or Cultural or Educational activities including camping. **Note 1:** Experience Certificate from a recognized School or College or University or Institute of the Central Government or the State Government or affiliated by the CentralGovernment or the State Government. **Note 2:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission of competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the	No.	Two years.	(i) fifty percent by promotion; (ii)fifty percent by direct recruitment.	Promotion: (i) eighty five percent of vacancies in the promotional posts shall be filled by promotion of Upper Division Clerk shaving five years of regular service in the grade in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100); (ii) fifteen percent of vacancies in the promotional posts shall be filled by promotion of Stenographer Grade II having five years of regular service in the grade in level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)and possessing experienceas

Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection of the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy's reserved for them.				specified in item (ii) under column (7). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consists of :- (1) Director or Deputy Secretary -Chairperson; (2) Under Secretary -Member; (3) Under Secretary -Member. (In-Charge of National Service Scheme Section) 2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consists of :- (1) Director or Deputy Secretary -Chairperson; (2) Under Secretary -Member; (3) Under Secretary -Member. (In-Charge of National Service Scheme Section)	Not applicable.

[F. No. A-12041/4/2022-NSS]

RAVI KUMAR SINHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.26 15:27:17 +05'30'